रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252335
CG-DL-E-24022024-252335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945
No. 792] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

का.आ. 830(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, **2023** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. – (1)** इस आदेश को चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में:-

(i) पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची-क और अनुसूची-ख के

कॉलम (5) में निर्दिष्ट अनुसार प्रभावी होगा।"

(ii) अनुसूची-क के कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"1 अक्टूबर 2024"

नोट: मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 27 सितम्बर 2023 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4247(ई) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी(पार्ट 4)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2024

S.O. 830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following amendment in the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Medical Textiles (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 : -

(i) in paragraph 1, for sub-paragraph (2) the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force as specified in column (5) of the SCHEDULE - A and SCHEDULE – B annexed to this Order."

(ii) in SCHEDULE-A, for Column (5), the following shall be substituted, namely :-

" 1st October 2024".

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* notification number S.O. 4247(E) dated 27th September 2023.

[F. No. 6/1/2021-R&D(Pt. 4)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA